

समाहरणालय, दरभंगा

(जिला स्थापना शाखा)

-: आदेश :-

जिला स्क्रीनिंग समिति-सह-जिला स्थापना समिति की बैठक दिनांक-08.06.2016 में लिये गये निर्णय के अनुसार वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या-7566 वि०/०२ दिनांक-14.07.10 के आलोक में बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली 2010 के अधीन 10 वर्षों की सेवा पूरी हो जाने एवं प्रतिकूल चारित्रिक अभ्युक्ति संसूचित नहीं रहने के फलस्वरूप निम्नलिखित कर्मियों को उनके नाम के सामने कॉलम 04 में अंकित तिथि से एवं ग्रेड पे में प्रथम रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन का लाभ देने का आदेश दिया जाता है। संबंधित कर्मियों के वेतन का निर्धारण मौलिक नियमावली के नियम-22(1)(A)(1) के अधीन नियत किया जायेगा।

क्र० सं०	नाम एवं पदनाम	नियुक्ति की तिथि	प्रथम वित्तीय उन्नयन, तिथि एवं ग्रेड पे	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री रतीश कुमार झा, लिपिक	12.12.05	12.12.15 ग्रेड पे-2800	
2	श्री कफील अहमद, लिपिक	05.07.05	05.07.15 ग्रेड पे-2800	
3	श्री हीरालाल झा, से०नि० लिपिक	10.05.89	30.12.10 ग्रेड पे-2800	
4	श्री बिहारी मोची, से०नि० लिपिक	24.02.04	24.02.14 ग्रेड पे-2800	
5	श्री दिलीप कुमार कर्ण, राजस्व कर्मचारी	23.05.79 (अमीन)	22.08.10 ग्रेड पे-2000	

संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि अधीनस्थ कर्मियों को वित्तीय लाभ प्रदान किये जाने से पहले यह सुनिश्चित हो लेंगे कि संबंधित कर्मियों के विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही संचालित नहीं हो। साथ ही संबंधित कर्मियों से इस आशय का घोषणा पत्र प्राप्त कर लेंगे कि किसी प्रकार की त्रुटि या भूल के कारण यदि अधिक राशि का भुगतान किया जाता है तो उक्त राशि संबंधित कर्मियों से वसूलनीय होगी।

30/11/16

स्थापना उप समाहर्ता,

दरभंगा।

ज्ञापांक-02-53/13-14-913/स्था०,

लहेरियासराय, दिनांक 01 वीं नवंबर 2016।

प्रतिलिपि :- संबंधित कर्मियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, दरभंगा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा/उप कोषागार पदाधिकारी, बेनीपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

स्थापना उप समाहर्ता,

दरभंगा।

30/11/16